उ0प्र0 विधान परिषद के तृतीय सत्र-2022 के प्रथम सोमवार हेतु मा0 सदस्य विधान परिषद श्री भीमराव अम्बेडकर द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-38 का उत्तरालेख्य।

प्रश्न	उत्तर
38(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य कर एवं निबन्धन विभाग में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत है?	जी हॉ।
(ख) यदि हॉ,तो तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का अलग-अलग विवरण व उसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व पिछडे वर्गो के कर्मचारियों की कुल संख्या व उनके रिक्त पदों की संख्या का सदन की मेज पर रखेंगे?	वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ एवं वाणिज्य कर विभाग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल सृजित पदों के सापेक्ष भरे/रिक्त पदों एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछडे वर्गो के कर्मचारियों की कुल संख्या व उसके सापेक्ष रिक्त पदों की संख्या का विवरण संलग्न है।
(ग) क्या राज्य कर निबन्धन विभाग में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के रिक्त पदों की विशेष भर्ती अभियान चलाकर रिक्त पदों को भरेंगे?	जी नही।
(घ) यदि हॉ, तो कब तक?	प्रश्न नहीं उठता।
(ड) यदि नहीं, तो क्यों?	वर्तमान में भर्ती के लिए उ0प्र0 सरकार के शासनादेशों के अनुरूप तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से नियमानुसार भर्ती की कार्यवाही की जा रही है। शासनादेश संख्या-वे0आ0-2/2052/दस-50(एम)/2008 दिनांक 08-09-2010 द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती पर रोक है।

योगी आदित्य नाथ
मा0 मुख्यमंत्री।